20/8/24 पश्चात पेशकर्ता प्रार्थी व प्रार्थी वकील
की गैर हाजिरी प्रार्थी व प्रार्थी वकील को
एक-एक बार-बार आवाज लगाई
गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद
भी प्रार्थी व प्रार्थी वकील की गैर हाजिरी
वादी का वाद अक्षम वादी व अक्षम
पैरवी में खारिज किया जा चुका है
अतः TI प्रार्थना के चलते कोई
औचित्य नहीं है विपक्षी प्रार्थी का
प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।
फैसला होकर नकल के बाद ही नकल
अभिलेख रखवाई हो।